# न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया**, R.J.S.(D.J.Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या - **37/2022**

CIS No - 37/2022

राजस्थान राज्य। -**अभियोगी**

**बनाम**

1. **पूरीलाल** पुत्र गोपाल, आयु 59 वर्ष,
2. **रामचन्द्र** पुत्र प्रहलाद, आयु 42 वर्ष,
3. **मदनलाल** पुत्र महावीर, आयु 28 वर्ष,

समस्त निवासीगण-भुमरी, पुलिस थाना-सारोलाकलां, जिला-झालावाड (राज.)

**--अभियुक्तगण**

अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 323/34, 325, 325/34, 307, 307/34** भा.द.सं.

**(प्राथमिकी सं.07/2022, पुलिस थाना-सारोलाकलां)**

.......................................

**उपस्थितः-**

1. श्री नरेन्द्र तोमर, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री राजऋषिसिंह हाड़ा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

**निर्णय** दिनांकः-**12.06.2026**

अभियुक्तगण के विरुद्ध यह विचारण धारा 341, 323, 323/34, 325, 325/34, 307, 307/34 भा.द.सं. के तहत पुलिस थाना **सारोलाकलां** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **07/2022** में प्रस्तुत आरोप पत्र पर किया गया है।

**2-** संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.01.2022 को परिवादी/आहत रूपचंद पुत्र रामलाल, आयु 45 साल, निवासी-भूमरी ने सी.एच.सी. सारोलाकलां पर जैरईलाज रहते हुए पुलिस को पर्चा बयान (प्रदर्श पी.1) इस आशय का दर्ज करवाया कि वह गाँव भूमरी का रहने वाला है। आज सांय 4-5 बजे करीब की बात है, वह घर पर ही था। उसका बड़ा भाई दीपचंद व मदनलाल ताश के पत्तों को लेकर आपस में गाली-गलौच कर रहे थे। वह उनको समझाने गया, तो उसके साथ भी गाली-गलौच करने लग गया। वह वापस आने लगा तो उसे मदनलाल ने आड़े फिरकर रोक लिया, उसके पास पास की लकड़ी की मारी, जो उसके सिर में लगी, खून निकल आया। उसी समय उसका भाई फूलचंद, दीपचंद बीच-बचाव करने आए, तो रामचंद्र, पूरीलाल हाथों में लकड़ियां लेकर आए, जिनसे उसके भाईयों दीपचंद, फूलचंद के साथ मारपीट की। फूलचंद के सिर में व दीपचंद के बांए हाथ में लगी। मारपीट कर ये

लोग चले गए। फिर उसका लड़का देवेन्द्र व गाँव के उन्हें अस्पताल लेकर आए, इत्यादि। उक्त पर्चा बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण मदनलाल, रामचंद्र व पूरीलाल के विरुद्ध धारा 341, 323, 325, 307, 504, 34 भा.द.सं. के विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को सेशन सुपुर्द किया गया जो इस न्यायालय को अंतिरत होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

**3-** बहस आरोप सुनी जाकर तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 323/34, 325, 325/34, 307, 307/34 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन-समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

**4- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**

| क्र.सं. | साक्षी क्रम | साक्षी का नाम |
|---|---|---|
| 01. | पी.डब्ल्यू.01 | रूपचंद |
| 02. | पी.डब्ल्यू.02 | डॉ.विशाल फतनानी |
| 03. | पी.डब्ल्यू.03 | दीपचंद |
| 04. | पी.डब्ल्यू.04 | फूलचंद |
| 05. | पी.डब्ल्यू.05 | जगन्नाथीबाई |
| 06. | पी.डब्ल्यू.06 | धनपाल |
| 07. | पी.डब्ल्यू.07 | देवेन्द्र |
| 08. | पी.डब्ल्यू.08 | कैलाशचंद |
| 09. | पी.डब्ल्यू.09 | सूरजभान |
| 10. | पी.डब्ल्यू.10 | भीमराज |
| 11. | पी.डब्ल्यू.11 | डॉ. अंकुश माहेश्वरी |
| 12. | पी.डब्ल्यू.12 | अशोक कुमार |
| 13. | पी.डब्ल्यू.13 | परमानंद |
| 14. | पी.डब्ल्यू.14 | महावीर |
| 15. | पी.डब्ल्यू.15 | दिनेश कुमार |

**5- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य**

| क्र.सं. | दस्तावेज | दस्तावेज का विवरण |
|---|---|---|
| 01. | प्रदर्श पी.1 | पर्चा बयान परिवादी रूपचंद |
| 02. | प्रदर्श पी.2 | फर्द जप्ती साफी परिवादी रूपचंद |
| 03. | प्रदर्श पी.3 | तीनों आहतगण का संयुक्त चोट प्रतिवेदन प्रपत्र |
| 04. | प्रदर्श पी.4, 5 व 6 | एक्सरे रिपोर्ट आहतगण क्रमशः रूपचंद, दीपचंद व फूलचंद |
| 05. | प्रदर्श पी.7 व 8 | घटनास्थल के क्रमशः प्रथम व द्वितीय नक्शा-मौके |
| 06. | प्रदर्श पी.9, 10, 11 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण क्रमशः पूरीलाल, मदनलाल व रामचन्द्र |
| 07. | प्रदर्श पी.12, 13, 14 | फर्द जब्ती व बरामदगी एक-एक लकड़ी बकब्जे अभियुक्तगण क्रमशः पूरीलाल, रामचंद्र व मदनलाल |
| 08. | प्रदर्श पी.15, 16, 17 | क्रमशः उक्त बरामदगीस्थल के नक्शा-मौके |
| 09. | प्रदर्श पी.18 | पुलिस अधीक्षक झालावाड़ का एफ.एस.एल. को अग्रेषण-पत्र |
| 10. | प्रदर्श पी.19 | एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद |
| 11. | प्रदर्श पी.20 | मालखाना रजिस्टर की प्रविष्टियां |
| 12. | प्रदर्श पी.21,22,23 | एक्सरे प्लेट्स आहतगण क्रमशः रूपचंद, दीपचंद व फूलचंद |
| 13. | प्रदर्श पी.24 | चाक एफ.आई.आर. |
| 14. | प्रदर्श पी.25,26,27 | अभियुक्तगण क्रमशः पूरीलाल, रामचंद्र व मदनलाल की धारा 27 सा.अधि. की सूचनाएं |

**6-** साक्ष्य अभियोजन के समापन पर अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत **313 द.प्र.सं.** किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बतलाते हुए स्वयं का निर्दोष होना तथा उन्हें झूठा फंसाया जाना कथन किया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य-सफाई पेश नहीं करना चाहा। हालांकि दौराने अभियोजन साक्ष्य प्रहलाद, लालचंद व मदन का संयुक्त चोट प्रतिवेदन प्रदर्श डी.1 व दीपचंद का पुलिस बयान प्रदर्श डी.2 अवश्य प्रदर्शित करवाए गए।

7- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

8- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध से जोड़ने वाली कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की कहानी प्रथमदृष्टया ही झूठी है। यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गवाहान के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्ध जो आरोप लगाए गए है तथा उनके संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उसके मूल्यांकन एवं निष्कर्ष से आरोपित आरोप किसी भी प्रकार से साबित नहीं होते है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस अन्तिम दिए गए तर्कों एवं उन पर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ हैः-

**(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.01.2022 को शाम 4-5 बजे के लगभग मौजा गाँव भूमरी में परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करने के आशय से रूपचंद वगैरह को स्वेच्छया सदोष अवरोधित कर मजरूब दीपचंद व फूलचंद के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया कुन्दाले से साधारण चोटें, मजरूब दीपचंद के बांए हाथ की अलना हड्डी में फ्रेक्चर की गम्भीर चोट भी कारित की तथा मजरूब रूपचंद के सिर पर कुन्दाले से पैराईटल हड्डी में फ्रेक्चर कारित किया, जो प्राणघातक चोट थी और यदि उक्त चोट के परिणामस्वरूप उक्त परिवादी रूपचंद की मृत्यु हो जाती, तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते, इस प्रकार अभियुक्तगण ने उक्त रूपचंद की हत्या का प्रयास किया?**

**(2) यदि हाँ तो अभियुक्तगण किस दण्ड के भागी हैं?**

10- समस्त तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करने के उपरांत तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के गहन अवलोकन, विश्लेषण एवं विवेचन से यह

प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी कहानी के समर्थन में **कुल 15 गवाहान** के बयान लेखबद्ध करवाए गए हैं।

**11-** साक्षी **पी.ड.1** रूपचंद **परिवादी/आहत** ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि 15 जनवरी को शाम को साढ़े 5 बजे मदनमोहन, पूरीलाल और रामचंद्र रास्ते में ताश खेल रहे थे। ये आपस में गाली-गलौज कर रहे थे, तो सुनकर वह वहाँ पर इनको समझाने के लिए आया। उसके आते ही हाजिर अदालत मुल्जिम मदनमोहन उर्फ मदन ने लट्ठ की उसके सिर पर मार दी, जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। फिर उसे बचाने के लिए उसके भाई फूलचंद और दीपचंद आए, तो फूलचंद के मुल्जिम रामचंद्र ने सिर पर लट्ठ की मारी तथा दीपचंद के बाएं हाथ पर पूरीलाल ने लकड़ी की मारी। फिर धनपाल और सूरजभान उसे वहाँ से सारोलाकलां अस्पताल में लेकर आए, जहाँ से उसे झालावाड़ अस्पताल रैफर कर दिया था। झालावाड़ अस्पताल से उसे कोटा अस्पताल भी रैफर किया था। पुलिस सारोलाकलां अस्पताल में आई थी। पुलिस ने सारोलाकलां अस्पताल में उसका पर्चा बयान लेखबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी.1 है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने इस पर कार्यवाही लिखकर भी ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। अस्पताल में उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था। पुलिस ने उसकी खून आलुदा साफी और कोट जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.2 पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं।

**12-** साक्षी **पी.ड.2** डॉ. विशाल फतनानी ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 15.01.2022 को सी.एच.सी. सारोलाकलां में चिकित्साधिकारी पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना सारोलाकलां के प्रतिवेदन पर मजरूब रूपचंद पुत्र रामलाल आयु 45 साल निवासी भूमरी थाना सारोलाकलां के शरीर पर लगी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसमें उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी-

1.कुचला हुआ घाव, खून के थक्कों के साथ हड्डी की गहराई तक, आकार 4 X 1 X हड्डी की गहराई तक, सिर के दांहिने फ्रंटल भाग पर, जो मोटे हथियार से कारित व ताजा थी, जिसके लिए उसने एक्स-रे की सलाह दी थी।

उसी दिन उसने दीपचंद पुत्र रामलाल आयु 40 साल निवासी भूमरी के शरीर पर लगी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसमें उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी-

1. नीलगू निशान, 3 X 2 सेमी., बांयी भुजा पर कलाई पर
2. खरोंच का निशान, 1 X 0.3 सेमी., नाक पर

उक्त दोनों चोटें मोटे हथियार से कारित व ताजा थी। चोट नं. 2 साधारण प्रकृति की थी। चोट नं. 1 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी थी।

उसी दिन उसने फूलचंद पुत्र रामलाल उम्र 40 वर्ष निवासी भूमरी के शरीर पर लगी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसमें उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी-

1. कुचला हुआ घाव, खून के थक्कों के साथ, सिर पर फ्रंटल रिजन पर
2. नीलगू निशान, 2 X 1 सेमी., बांयी भुजा पर

चोट नं.1 के लिए एक्स-रे की राय दी गयी थी। चोट नं. 2 साधारण प्रकृति की पायी गयी। उक्त दोनों चोटें मोटे हथियार से कारित होकर ताजा थी।

उसने मजरूबान रूपचंद, दीपचंद व फूलचंद का एक ही चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.3 तैयार किया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी रूपचंद का पहचान चिह्न, ई से एफ दीपचंद का पहचान चिह्न, जी से एच फूलचंद का पहचान चिह्न अंकित है। बाद एक्स-रे व एम.बी.एस. अस्पताल में रूपचंद के भर्ती रिकॉर्ड के आधार पर उसने रूपचंद के शरीर पर लगी चोट संख्या 1 सिर के दोनों पेराइटल बोन का अस्थिभंग होना पाया जाकर चोट गंभीर प्रकृति की होकर जीवन के लिए प्राणघातक थी, जिस बाबत प्रदर्श पी.3 की पुश्त पर आई से जे उसकी राय अंकित है। बाद एक्स-रे मजरूब दीपंचद के शरीर पर आयी चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की पायी थी व बांये एल्ना बोन का अस्थिभंग होकर चोट गंभीर प्रकृति की पायी थी, जिस बाबत प्रदर्श पी.3 की पुश्त पर के से एल उसकी राय अंकित है। बाद एक्स-रे मजरूब फूलचंद के शरीर पर लगी चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की पायी थी, जिस बाबत प्रदर्श पी.3 के पुश्त भाग पर एम से एन उसकी राय अंकित है। रूपचंद का एक्स-रे फॉर्म प्रदर्श पी.4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दीपचंद का एक्स-रे फॉर्म प्रदर्श पी.5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फूलचंद का एक्स-रे फॉर्म प्रदर्श पी.6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

**13-** साक्षी **पी.ड.3** दीपचंद **आहत** ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 15.01.2022 को शाम साढ़े पांच बजे करीब की बात है। वह नरेगा में मजदूरी करके उसके घर पर आया था। फिर वह घर से चाय पीकर बाहर निकला तो उसके घर के बाहर चार-पांच आदमी ताश खेल रहे थे। वहां पर मदनलाल उसे बिना किसी बात के गालियां निकालने लगा। फिर मदनलाल उसके झामकझूमा हो गया। इतने में ही उसका भाई फूलचंद कुएं पर से आ रहा था। पूरीलाल ने अपनी दुकान के सामने पीछे से फूलचंद के सिर पर लकड़ी की मारी। वह उसके भाई फूलचंद को उठाने गया तो पूरीलाल व रामचंद्र दोनों ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसके बांये हाथ पर चोट लगी। फिर वह भागकर अपने घर आ गया, जहां उसे घर पर धनपाल के मकान के बाहर से चिल्लाने की आवाज आयी, जिसे सुनकर वह धनपाल के घर

के बाहर पहुंचा, जहां पर उसने देखा कि हाजिर अदालत मुल्जिमान रामचंद्र, पूरीलाल व मदनलाल उसके भाई रूपचंद के साथ लकड़ियों से मारपीट कर रहे थे। रूपचंद के सिर पर चोट लगी हुई थी, जिससे खून निकल रहा था। रूपचंद जमीन पर पड़ा हुआ था। तीनों मुल्जिमान उसके भाई रूपचंद के नीचे पड़े हुए के लकड़ियों से मार रहे थे। मारपीट कर मुल्जिमान मौके से भाग गए। फिर उसका बेटा देवेन्द्र, धनपाल और सूरजभान उसे, रूपचंद व फूलचंद को मोटरसाइकिल से सारोलाकलां अस्पताल लेकर गए, जहां से उन्हें झालावाड़ रेफर कर दिया। झालावाड़ से रूपचंद को कोटा अस्पताल रेफर कर दिया, जहां एम.बी.एस. कोटा में उसका ईलाज चला था। उसका भाई रूपचंद एम.बी.एस.अस्पताल कोटा में लगभग बीस दिन तक भर्ती रहा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी.7 व पी.8 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके भाई रूपचंद की खून आलूदा साफी जरिये फर्द प्रदर्श पी.2 जब्त की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

**14-** साक्षी **पी.ड.4** फूलचंद **आहत** ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 15.01.2022 को शाम करीब साढ़े पांच बजे की बात है। वह उसके कुंए से अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसके भाई दीपचंद के साथ मुल्जिम मदन गाली-गलौच कर रहा था। जैसे ही वह पूरीलाल की दुकान के पास पहुंचा, पूरीलाल ने उसके लकड़ी से सिर पर मारी, जिससे उसके सिर से खून निकल आया। फिर वह चिल्लाया तो उसका भाई दीपचंद उसे बचाने आया, जिसके साथ मुल्जिमान रामचंद्र और मदन से लकड़ी से मारपीट की, जिससे दीपचंद के बांये हाथ पर चोट लगी। फिर वह वहां से उसके घर पर आ गया और दीपचंद अपने घर चला गया। उसके बाद उसे रूपचंद के चिल्लाने की आवाज धनपाल के घर के पास से आयी, जिस पर वह धनपाल के घर की तरफ गया, जहां पर उसने देखा कि हाजिर अदालत मुल्जिमान मदन, रामचंद्र और पूरीलाल उसके भाई रूपचंद के साथ लकड़ियों से मारपीट कर रहे थे। रूपचंद के सिर पर चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था। उस वक्त वहां पर धनपाल, सूरजभान व दीपचंद भी आ गए थे। मुल्जिमान रूपचंद के साथ मारपीट कर भाग गए। फिर उसे, उसके भाई रूपचंद व दीपचंद को सूरजभान, धनपाल व देवेन्द्र सारोला अस्पताल लेकर गए, जहां से हम तीनों भाईयों को झालावाड़ रेफर कर दिया। रूपचंद को कोटा रेफर कर दिया था, जहां रूपचंद करीब एक महीने तक भर्ती रहा था। उसका डॉक्टरी मुआयना भी हुआ था। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी.7 व पी.8 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने रूपचंद की साफी जरिये प्रदर्श पी.2 जब्त की थी, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

**15-** साक्षिया **पी.ड.5** जगन्नाथीबाई ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि शाम के साढ़े पांच बजे करीब की बात है, वह उसके घर पर थी। उसने झगड़े की आवाज सुनी तो वह उठकर घर के बाहर आई और उसने देखा कि पुरीलाल, मदनलाल व रामचंद्र, दीपचंद और फूलचंद के साथ लकड़ियों के मारपीट कर रहे थे। इसके बाद फूलचंद और दीपचंद को लेकर अस्पताल जा रहे थे तो धनपाल के मकान के सामने रूपचंद के साथ पुरीलाल, रामचंद्र व मदन लकड़ियो से मारपीट कर रहे थे। रूपचंद के इससे सिर पर चोट आई। इस लड़ाई झगड़े में दीपचंद के हाथ में और फूलचंद के सिर में चोट आई। फिर इन लोगो को सारोला अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद सारोला से झालावाड़ रेफर कर दिया था।

**16-** साक्षी **पी.ड.6** धनपाल ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि सन् 2022 के पहले महीने की शाम के साढ़े पांच बजे करीब की बात है, वह उसके घर पर था तभी रूपचंद की आवाज सुनकर वह घर के बाहर आया। उसने बाहर आकर देखा तो पुरीलाल, रामचंद्र और मदन, रूपचंद के साथ लकड़ियों से मारपीट कर रहे थे। रूपचंद के सिर में चोट लगने से खून निकल रहा था। वह सूरजभान और देवेन्द्र, रूपचंद को सारोला अस्पताल ले गये। इसके बाद रूपचंद को झालवाड़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्शामौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 8 है, जिस पर इ-एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

**17-** साक्षी **पी.ड.7** देवेन्द्र ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 15.01.2022 के शाम के करीब साढ़े पांच बजे की बात है, वह उसके घर पर था। उसे घर के बाहर चिल्लाने की आवाज आई, जिस पर वह बाहर आया तो उसने देखा कि धनपाल जी के मकान के बाहर उसके काका रूपचंद जी के साथ मदन, रामचंद्र व पुरीलाल पाईप, लकड़ी व कुल्हाड़ियो से मारपीट कर रहे थे। रूपचंद के सिर पर चोट लगी हुई थी, सिर से खून निकल रहा था। वे लोग वहां पहुंचे तो मुल्जिमान तीनो लोग वहां से भाग गये। फिर उसने उसके काका रूपचंद को उठाया और संभाला। फिर वह, धनपाल और एक अन्य व्यक्ति रूपचंद जी, दीपचंद जी और फूलचंद को सारोलां अस्पताल ले गये। जहां से उन्हें झालावाड़ रेफर कर दिया गया। झालावाड़ से फिर कोटा रेफर कर दिया गया।

**18-** साक्षीगण **पी.ड.8** कैलाशचंद व **पी.ड.14** महावीर **कांस्टेबल्स** ने सशपथ बयानों में यह कथन किए हैं कि दिनांक 24.02.2022 को उनके समक्ष अनुसंधान अधिकारी दिनेश शर्मा ने प्रकरण संख्या 7/2022 में अभियुक्त पुरीलाल को जर्ये फर्द प्रदर्श पी.9 के गिरफ्तार किया था, जिस पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं।

उसी दिन मदनलाल को जर्ये फर्द प्रदर्श पी.10 के गिरफ्तार किया था, जिस पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन रामचंद्र को जर्ये फर्द प्रदर्श पी.11 उसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी दिनेश शर्मा ने गिरफ्तार किया था, जिस पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन गिरफ्तारशुदा अभियुक्त पूरीलाल ने मुताबिक सूचना अपनी दुकान के पीछे बाड़े में से एक बांस की लकड़ी निकाल कर दिनेश शर्मा अनुसंधान अधिकारी को पेश की थी, जिसे अनुसंधान अधिकारी ने जर्ये फर्द प्रदर्श पी.12 जप्त कर सीलमौहर किया था, जिस पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रामचंद्र ने अपने रिहाईशी मकान के कमरे से एक बांस की लकड़ी निकालकर पेश की थी, जिसे अनुसंधान अधिकारी ने जर्ये फर्द प्रदर्श पी.13 जप्त कर सील मौहर किया था, जिस पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मदनलाल ने मुताबिक सूचना अपने रिहाईशी मकान के कमरे में से एक बांस की लकड़ी निकाल कर पेश की थी, जिसे अनुसंधान अधिकारी दिनेश शर्मा ने जर्ये फर्द प्रदर्श पी.14 जप्त कर सील मौहर किया था, जिस पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान अधिकारी ने बरामदगीस्थल का नक्शा-मौका प्रदर्श पी.15, प्रदर्श पी.16 व प्रदर्श पी.17 बनाया था, जिन पर क्रमशः ए-बी व सी-डी स्थान पर उनके हस्ताक्षर हैं।

**19-** साक्षी **पी.ड.9** सूरजभान ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 15.01.2022 को साढ़े पांच बजे करीब वह मजदूरी करके अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में पूरीलाल, रामचंद्र, मदनमोहन मिले, जिनके पास लकड़िया थीं, जो रूपचंद के साथ लकड़ियों से मारपीट कर रहे थे। जिससे रूपचंद घायल हो गया। फिर वह और धनपाल, रूपचंद को उठाकर सारोला अस्पताल ले गये, जहां उसे भर्ती करवाया।

**20-** साक्षी **पी.ड.10** भीमराज **कांस्टेबल** ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 14.03.2022 को प्रकरण संख्या 07/2022 में मालखाना इंचार्ज लक्ष्मी नारायण हेड कानि. ने मालखाने से सीलबंद हालत में कुल चार पैकेट मार्क ए,बी,सी,डी मय थाने के अग्रेषण पत्र रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल कोटा के लिए दिये थे। जिस पर वह उक्त सीलशुदा पैकेट्स लेकर उसी दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड़ आया, जहां से पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड़ का अग्रेषण पत्र तैयार करवाया था। अगले दिन दिनांक 15.03.2022 को वह एफएसएल कोटा के लिए रवाना हुआ था। दिनांक 15.03.2022 को ही उसने उक्त सील्डशुदा पैकेट्स को

एफएसएल में जमा करवाकर माल जमा की रसीद प्राप्त की थी। दिनांक 16.03.2022 को वापसी थाना पर माल जमा की रसीद क्रमांक 418/2022 दिनांक 15.03.2022 की लाकर मालखाना इंचार्ज लक्ष्मीनारायण हेड कानि. को सुपुर्द की थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड़ का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.18 है, जिस पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। एफएसएल माल जमा की रसीद प्रदर्श पी.19 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.20ए है, जिस पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**21-** साक्षी **पी.ड.11** डॉ. अंकुश माहेश्वरी ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 31.01.2022 को मेडिकल ऑफिसर पद पर एसआरजीएच झालावाड़ में कार्यरत था। दिनांक 31.01.2022 को रूपचंद का खोपड़ी का एक्सरे बाद रिपोर्ट तैयार किया था, जिसमें दोनों पेराइटल हडडी में अस्थिभंग पाया गया, जो प्रदर्श पी.4 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं और ई से एफ उसकी मेडिकल राय है। दिनांक 20.01.2022 को दीपचंद का बांयी कलाई का एक्सरे बाद रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें बांयी एलना हडडी में अस्थिभंग पाया गया, एक्सरे रिपोर्ट पी.5 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं व ई से एफ उसकी राय अंकित है। दिनांक 20.01.2022 को फूलचंद का खोपड़ी का एक्सरे बाद रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया, एक्सरे रिपोर्ट पी.6 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं व ई से एफ उसकी राय अंकित है। रूपचंद के खोपड़ी की एक्सरे फिल्म प्रदर्श पी.21, दीपचंद की बांयी कलाई की एक्सरे फिल्म प्रदर्श पी.22 व फूलचंद की खोपड़ी की एक्सरे फिल्म प्रदर्श पी.23 है,

**22-** साक्षी **पी.ड.12** अशोक कुमार **स.उ.नि.** ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 15.01.2022 को अस्पताल के जरिए सूचना मिली थी कि मजरूब अस्पताल में भर्ती है तथा लड़ाई झगडे का केस है। सारोला सरकारी अस्पताल में रूपचंद भर्ती था, जिसका पर्चा बयान उसके कहे अनुसार लिया था, जो प्रदर्श पी.1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ रूपचंद द्वारा दिये गये बयान हैं और जी से एच पुलिस कार्यवाही है। पर्चा बयान लेकर थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के लिए दे दिया था।

**23-** साक्षी **पी.ड.13** परमानंद हेड कांस्टेबल **प्रथम अनुसंधान अधिकारी** ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 15.01.2022 को प्रकरण संख्या 07/2022 के अनुसंधान हेतु पत्रावली एस.एच.ओ. द्वारा सुपुर्द की थी। उसने पत्रावली सुपुर्दगी में लेकर अनुसंधान शुरू किया था। दिनांक 20.01.2022 को उक्त प्रकरण में उसने प्रथम घटनास्थल पर जाकर चश्मदीद गवाह दीपचंद एवं फूलचंद की उपस्थिति में नक्शा-

मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी.7 है, जिस पर ई-एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी.7 की पुश्त पर ई-एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन उसने द्वितीय घटनास्थल का नक्शा-मौका चश्मदीद गवाहान धनपाल एवं दीपचंद व फूलचंद की उपस्थिति में बनाया था, जो प्रदर्श पी.8 है, जिस पर जी-एच दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी.8 की पुश्त पर जी-एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गवाहान रूपचंद, फूलचंद, जगन्नाथीबाई, धनपाल, सूरजभान, देवेन्द्र के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्तगण का आपराधिक रिकॉर्ड शामिल पत्रावली किया था। उसने पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु एस.एच.ओ. को सुपुर्द कर दी थी।

**24-** साक्षी **पी.ड.15** दिनेश कुमार शर्मा **द्वितीय अनुसंधान अधिकारी** ने सशपथ बयान में यह कथन किए हैं कि दिनांक 15.01.2022 को अशोक कुमार एएसआई ने जैरईलाज मजरूब रूपचन्द का पर्चा बयान उसे लाकर पेश किया था, जो प्रदर्श पी.1 है जिस पर ई से एफ उसकी पुलिस कार्यवाही कर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकरण का अनुसंधान परमानन्द हेड कानि. को सुपुर्द किया था। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.24 पर ए से बी उसके तथा सी से डी अशोक कुमार एएसआई के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 307, 325 भा.द.सं. जोड़ी गयी थी। इसके उपरान्त अग्रिम अनुसंधान उसके द्वारा किया गया था। दिनांक 10.02.2022 को मजरूब रूपचन्द द्वारा वक्त घटना कंधे पर रखी हुयी एक साफी खून जैसे निशान लगी हुयी पुरानी इस्तेमाली पेश की थी, जिसे कब्जा पुलिस कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड पैक कर मार्क ए दिया था जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी.2 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। दिनांक 24.02.2022 को मुल्जिमान पूरीलाल, मदनलाल और रामचंद्र को क्रमशः जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.9 लगायत 11 गिरफ्तार किया था जिन पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा जी से एच मुलजिमानों के हस्ताक्षर तथा आई से जे मुलजिमानों की गिरफ्तारी की उनके परिजनों को दी गयी सूचना है। उसी दिन मुल्जिम पूरीलाल, रामचंद्र, मदनलाल ने स्वेच्छापूर्वक उसे धारा 27 साक्ष्य अधि. की इत्तला उसे दी थी जो क्रमशः प्रदर्श पी.25, लगायत पी.27 हैं, जिन पर ए से बी मुलजिमानों तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इन इत्तलाओं के अनुसरण में अभियुक्त पूरीलाल द्वारा एक लकड़ी जिस पर रबर के 05 बैण्ड लगे हुए बीच में से टूटी हुयी खून लगी हुयी बरामद करवायी थी, जिसे बतौर सबूत जप्त कर सील्ड मोहर कर मार्क बी दिया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी.12 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा जी से एच अभियुक्त पूरीलाल के हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर नमूना सील हैं। अभियुक्त रामचंद्र द्वारा एक लकड़ी जिस पर जगह-जगह रगड़ लगी हुयी खून जैसा लगी हुयी बरामद

करवायी थी जिसे बतौर सबूत जप्त कर सील्ड मोहर कर मार्क डी दिया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.13 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा जी से एच अभियुक्त रामचंद्र के हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर नमूना सील हैं। अभियुक्त मदनलाल द्वारा एक लकड़ी पुरानी इस्तेमाली जिस पर तार के 16 बंद लगे हुए तथा एक कपड़े की चिन्दी लगी हुयी खून लगा हुआ बरामद करवायी थी, जिसे बतौर सबूत जप्त कर सील्ड मोहर कर मार्क सी दिया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी.14 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा जी से एच अभियुक्त मदनलाल के हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर नमूना सील है। बरामदगीस्थलों के नक्शा-मौके बनाए थे, जो प्रदर्श पी.15 लगायत पी.17 हैं, जिन पर ई से एफ उसके, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान लक्ष्मीनारायण, भीमराज के बयानात उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। बाद तकमील तफ्तीश अभियुक्तगण मदनलाल, रामचंद्र, पूरीलाल के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 307, 504, 34 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था।

**25-** पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण व विवेचन से यह स्थिति उभरकर आई है कि हस्तगत प्रकरण से संबंधित प्रतिपक्षी सेशन प्रकरण सं.37/2024 सरकार बनाम रूपचंद वगैरह अंतर्गत धारा 341, 323, 336, 427, 504 सपठित धारा 34 भा.द.सं. है, जो हमारे समक्ष मौजूद है तथा इस प्रतिपक्षी प्रकरण का भी आज हमारे द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण की प्राथमिकी प्रदर्श पी.24 एवं घटनास्थल के नक्शा-मौका प्रदर्श पी.7 व 8 तथा उक्त प्रतिपक्षी प्रकरण में संलग्न प्राथमिकी एवं नक्शा-मौका के अवलोकन से दोनों ही प्रकरणों का घटना का समय व घटनास्थल एक ही होना दर्शित हो रहा है। स्वयं परिवादी/आहत पी.ड.1 रूपचंद ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **यह कहना सही है कि मेरे एवं मेरे दोनों भाईयों फूलचंद एवं दीपचंद के विरुद्ध इसी घटना का क्रॉस-केस खानपुर न्यायालय में चल रहा है।** आहत पी.ड.3 दीपचंद का कथन है कि **यह सही है कि इसी झगड़े का मुकदमा मेरे, फूलचंद व देवेन्द्र पर खानपुर न्यायालय में चल रहा है।** पी.ड.4 फूलचंद ने कथन किया है कि **यह सही है कि इसी झगड़े का एक मुकदमा खानपुर न्यायालय में मेरे, रूपचंद व दीपचंद के विरुद्ध चल रहा है।** पी.ड.5 जगन्नाथीबाई ने कथन किया है कि **यह कहना सही है कि इस घटना का क्रॉस-केस मेरे पुत्र रूपचंद, दीपचंद, फूलचंद तथा देवेन्द्र के विरुद्ध खानपुर न्यायालय में चल रहा है।** पी.ड.7 देवेन्द्र ने कथन किया है कि **यह कहना सही है कि मुल्जिमान के साथ मारपीट करने और उनकी मोटरसाईकिल तोड़ने के मामले में हमारे विरुद्ध क्रॉस केस खानपुर न्यायालय में चल रहा है।** प्रथम अनुसंधान

अधिकारी पी.ड.13 परमानंद ने कथन किया है कि **यह कहना सही है कि इस प्रकरण के क्रोस केस का अनुसंधान भी मेरे द्वारा किया गया था, जिसकी एफ.आई.आर. नंबर 8/2022 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी.3, चार्जशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी.4, नक्शा-मौका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी.5 एवं प्रदर्श डी.6 है, फर्द डेमेज मोटरसाईकिल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी.7 है।** द्वितीय अनुसंधान अधिकारी पी.ड.15 दिनेश कुमार ने कथन किया है कि **यह कहना सही है कि इस प्रकरण का क्रॉस केस एफ.आई.आर. नंबर 08/2022 मेरे द्वारा दर्ज की गई थी।** चिकित्सक साक्षी पी.ड.2 डॉ. विशाल ने कथन किया है कि **मैंने रामचंद्र, प्रहलाद और मदन का भी चिकित्सकीय परीक्षण किया था, जिनका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श डी.1 है** तथा प्रतिपक्षी प्रकरण में इस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से यह जाहिर किया गया है कि **दोनों पक्षों ने ही मारपीट की थी।** इस प्रकार बरवक्त घटना दोनों पक्षों के मध्य लड़ाई-झगड़ा होना तथा इस घटना में दोनों ही पक्षों का चोटिल होना बखूबी स्पष्ट हुआ है।

**26-** अब यदि इस तथ्य पर गौर करें कि स्वयं द्वारा की गई मारपीट की घटना के प्रकरण से बचने के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है, तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी/आहत रूपचंद द्वारा सी.एच.सी. सारोलाकलां में जैरईलाज रहते हुए पुलिस को दर्ज करवाए गए पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 पर हुआ है। अपने पर्चा बयान में परिवादी रूपचंद द्वारा यह अंकित करवाया गया था कि सांय 4-5 बजे करीब वह घर पर था, तब उसका बड़ा भाई दीपचंद व अभियुक्त मदनलाल ताश के पत्तों को लेकर आपस में गाली-गलौच कर रहे थे। वह समझाने गया, तो मदनलाल उसके साथ भी गाली-गलौच करने लग गया और वह वापस आने लगा, तो उसे मदनलाल ने आड़े फिरकर रोक लिया, उसके पास पास की लकड़ी की मारी, जो उसके सिर में लगी, खून निकल आया। उसी समय उसका भाई फूलचंद, दीपचंद बीच-बचाव करने आए, तो रामचंद्र, पूरीलाल हाथों में लकड़ियां लेकर आए, जिनसे उसके भाईयों दीपचंद, फूलचंद के साथ मारपीट की। फूलचंद के सिर में व दीपचंद के बांए हाथ में लगी। उसका लड़का देवेन्द्र व गाँव के उन्हें अस्पताल लेकर आए। परिवादी के उक्त पर्चा बयान में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/आहतगण के साथ मारपीट किए जाने के अंकित मुख्य तथ्य की पुष्टि अभियोजन साक्षीगण द्वारा दौराने अभिसाक्ष्य किए गए कथनों से होती है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट किए जाने के तथ्य की पुष्टि करते हुए इस संबंध में पी.ड.1 परिवादी/आहत रूपचंद ने दौराने अभिसाक्ष्य मुख्य परीक्षा में

स्पष्ट कथन किया है कि **मुल्जिम मदनमोहन उर्फ मदन ने लठ की उसके सिर पर मार दी, जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। उसके भाई फूलचंद के मुल्जिम रामचंद्र ने सिर पर लठ की मारी तथा दीपचंद के बांए हाथ पर पूरीलाल ने लकड़ी की मारी।** पी.ड.3 आहत दीपचंद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि **पूरीलाल ने अपनी दुकान के सामने पीछे से फूलचंद के सिर पर लकड़ी की मारी। वह उसके भाई फूलचंद को उठाने लगा तो पूरीलाल व रामचंद्र दोनों ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसके बांए हाथ पर चोट लगी।** वह भागकर अपने घर आ गया, जहाँ उसे धनपाल के मकान के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह धनपाल के घर के बाहर पहुँचा, जहाँ पर देखा कि **मुल्जिमान रामचंद्र, पूरीलाल व मदनलाल उसके भाई रूपचंद के साथ लकड़ियों से मारपीट कर रहे थे।** रूपचंद के सिर पर चोट लगी हुई थी, जिससे खून निकल रहा था। पी.ड.4 आहत फूलचंद ने कथन किया है कि जैसे ही वह पूरीलाल की दुकान के पास पहुँचा, **पूरीलाल ने उसके लकड़ी से सिर पर मारी, जिससे उसके सिर से खून निकल आया।** उसके चिल्लाने पर उसका भाई **दीपचंद उसे बचाने आया, जिसके साथ मुल्जिमान रामचंद्र और मदन ने लकड़ी से मारपीट की, जिससे दीपचंद के बांए हाथ पर चोट लगी।** फिर वह उसके घर आ गया और दीपचंद अपने घर चला गया। उसके बाद उसे रूपचंद के चिल्लाने की आवाज आई, जिस पर धनपाल के घर की तरफ गया, जहाँ देखा कि **हाजिर अदालत मुल्जिमान मदन, रामचंद्र और पूरीलाल उसके भाई रूपचंद के साथ लकड़ियों से मारपीट कर रहे थे।** रूपचंद के सिर पर चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था। उस वक्त वहाँ पर धनपाल, सूरजभान व दीपचंद भी आ गए थे। आहत पी.ड.3 दीपचंद ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि **यह सही है कि रूपचंद के साथ मारपीट होते समय मेरे साथ मुल्जिमान ने कोई मारपीट नहीं की।** इसी तरह पी.ड.4 आहत फूलचंद ने भी दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि **यह सही है कि जिस समय रूपचंद के साथ तीनों मुल्जिमान मारपीट कर रहे थे, उस समय मेरे साथ किसी मुल्जिम ने मारपीट नहीं की।** इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य उजागर हुआ है कि प्रकरण में उक्त मारपीट की घटना दो चरणों में हुई है, जिसमें **प्रथम चरण** में अभियुक्तगण तथा आहतगण फूलचंद व दीपचंद के मध्य पूरीलाल की दुकान के सामने लड़ाई हुई थी, जिसके पश्चात उक्त आहतगण अपने घरों पर चले गए थे और फिर **द्वितीय चरण** में अभियुक्तगण व परिवादी रूपचंद के बीच धनपाल व कालूलाल के मकान के सामने लड़ाई हुई थी, इसका समर्थन दौराने अन्वेषण बनाए गए नक्शा-मौके प्रदर्श पी.7 व 8 से भी होता है, जिनके अनुसार आहतगण फूलचंद व दीपचंद के साथ नक्शा-मौका प्रदर्श पी.7 में दर्शाए अनुसार झगड़े का स्थल मार्क-एक्स अभियुक्त

पूरीलाल की दुकान के सामने तथा नक्शा-मौका प्रदर्श पी.8 में झगड़े का स्थल मार्क-एक्स धनपाल व कालूलाल के मकान के सामने का बतलाया गया है। चिकित्सक साक्षी पी.ड.2 डॉ. विशाल द्वारा दौराने अभिसाक्ष्य परिवादी/आहत के सिर पर कुचले घाव की चोट, आहत दीपचंद के नीलगू निशान की एक चोट बांई भुजा पर कलाई पर व दूसरी चोट खरोंच के निशान की नाक पर तथा आहत फूलचंद के कुचले हुए घाव की एक चोट सिर पर व दूसरी चोट नीलगू निशान की बांई भुजा पर दौराने चिकित्सकीय परीक्षण पाया जाना बतलाते हुए इनके संयुक्त चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.3 को प्रमाणित किया है तथा आहत दीपचंद की चोट सं.1 को बाद एक्सरे बांई अल्ना अस्थि का अस्थिभंग होने से गम्भीर प्रकृति की पाई जाना बतलाया है। चिकित्सक साक्षी पी.ड.11 डॉ. अंकुश ने आहतगण के एक्सरे करवाए जाकर एक्सरे रिपोर्ट व प्लेट्स को प्रमाणित किया है। इस प्रकार परिवादी/आहतगण द्वारा दौराने अभिसाक्ष्य बतलाई गईं चोटों की सम्पुष्टि चिकित्सकीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी होती है। साक्षिया पी.ड.5 जगन्नाथीबाई, पी.ड.6 धनपाल, पी.ड.7 देवेन्द्र व पी.ड.9 सूरजभान द्वारा उनके सशपथ बयानों में किए गए कथनों से भी अभियुक्तगण द्वारा आहतगण के साथ मारपीट किए जाने एवं आहतगण के शरीर पर चोटें आने के तथ्यों का समर्थन होता है। दिनांक 15.01.2022 को सांय 4 से 5 बजे के मध्य घटित घटना के संबंध में परिवादी रूपचंद के पर्चा बयान बिना किसी विलम्ब के उसी दिन दिनांक 15.01.2022 को 6.10 पी.एम. पर पुलिस द्वारा लेखबद्ध किए गए हैं और इसमें अंकित कार्यवाही पुलिस से भी परिवादी/आहतगण की चोटों की ताईद होती है। पर्चा बयान प्रदर्श पी.1 में परिवादी/आहत ने ताश के पत्तों को लेकर झगड़ा होना अंकित करवाया है तथा दौराने अभिसाक्ष्य पी.ड.1 परिवादी रूपचंद ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि **ताश मेरा भाई दीपचंद और मदन खेल रहे थे।** पी.ड.3 दीपचंद ने हालांकि स्वयं का ताश खेलने से इन्कार किया है, परंतु मुख्य परीक्षा में ही यह कथन करता है कि **मेरे घर के बाहर चार-पाँच आदमी ताश खेल रहे थे।** महत्वपूर्ण रूप से प्रथम अनुसंधान अधिकारी पी.ड.13 परमानंद ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि **यह बात सही है कि मुल्जिमान व परिवादीगण के मध्य झगड़ा ताश के 10/-रुपये जीतने को लेकर हुआ था। यह बात सही है कि दीपचंद से मदनलाल 10/-रुपये ताश के जीत गया था, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था।** इस प्रकार पक्षकारान के मध्य झगड़े का कारण भी बखूबी स्पष्ट हो रहा है। प्रकरण के परिवादी/आहतगण एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा लकड़ियों से मारपीट करना बतलाया है तथा द्वितीय अनुसंधान अधिकारी पी.ड.15 द्वारा दौराने अभिसाक्ष्य घटना में प्रयुक्त लकड़ियां अभियुक्तगण पूरीलाल, रामचन्द्र व मदनलाल की स्वैच्छिक

सूचनाओं क्रमशः प्रदर्श पी.25, 26 व 27 के आधार पर उनकी निशादेही से जरिए फर्द क्रमशः प्रदर्श पी.12, 13 व 14 बरामद कर जब्त करना कथन किया है, जिसका समर्थन मौतबिर साक्षीगण पी.ड.8 कैलाशचंद व पी.ड.14 महावीर द्वारा किया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त लकड़ियों के साथ ही परिवादी रूपचंद की खून आलूदा साफी के सीलबंद पैकेट्स पी.ड.10 भीमराज द्वारा मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर एफ.एस.एल. में परीक्षण हेतु जमा करवाना बतलाते हुए पुलिस अधीक्षक झालावाड़ का अग्रेषण-पत्र प्रदर्श पी.18, एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श पी.19 एवं मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी.20 को प्रमाणित किया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके मुताबिक साफी व तीनों लकड़ियों पर मानवरक्त की सकारात्मक उपस्थिति बतलाई गई है। पी.ड.12 अशोक कुमार स.उ.नि. द्वारा परिवादी/आहत रूपचंद के पर्चा बयान परिवादी के कहे अनुसार लेखबद्ध किए गए हैं। उक्त समस्त साक्षीगण दौराने प्रतिपरीक्षा अपने कथनों पर स्थिर रहे हैं तथा इनके कथनों में ऐसा कोई विरोधाभासी तथ्य व परिस्थितियां प्रकट नहीं हुई हैं, जिनसे अभियुक्तगण द्वारा परिवादीगण के साथ लकड़ियों से मारपीट किए जाने से उनके चोटें कारित होने के तथ्य पर किसी प्रकार का अविश्वास या संदेह उत्पन्न होता हो। दौराने अभिसाक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से परिवादी/आहतगण के चोटें कारित होने के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं, परंतु इस संबंध में पी.ड.1 परिवादी/आहत रूपचंद ने स्पष्ट कथन किया है कि **यह कहना गलत है कि मोटरसाईकिल तोड़ने के दौरान मैं मोटरसाईकिल पर गिर गया होऊं, जिससे मेरे चोटें आई हों।** आगे सुझाव दिए जाने पर परिवादी ने कथन किया है कि **यह कहना भी गलत है कि मैं वैन में गिर गया होऊं, जिससे मेरे सिर में चोट आई हो।** आहत पी.ड.3 दीपचंद ने कथन किया है कि **यह कहना गलत है कि रास्ते में हमारी जीप का एक्सीडेंट हुआ हो।** पी.ड.4 आहत फूलचंद ने इस संबंध में कथन किया है कि **यह कहना गलत है कि जिस मोटरसाईकिल पर रूपचंद को लेकर गए उसका एक्सीडेंट हो गया हो तथा रूपचंद के उसीसे चोटें आई हों। यह कहना गलत है कि सारोला से झालावाड़ आते समय एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया हो और उससे चोटें आई हों।** स्वतंत्र साक्षी पी.ड.9 सूरजभान ने कथन किया है कि **यह कहना गलत है कि रूपचंद मोटरसाईकिल से फिसलने से गिर गया हो और उसके चोटें आई हों।** इस प्रकार अभियुक्तगण की ओर से उक्त साक्षीगण को कोई निश्चित सुझाव नहीं दिया जाकर भिन्न-भिन्न सुझाव दिए गए हैं, जिससे परिवादी/आहतगण के चोटें मारपीट से अन्यथा कारित होने का तथ्य किसी भी रूप में साबित नहीं होता है। यह अवश्य है कि पी.ड.7 देवेन्द्र ने अभियुक्तगण द्वारा लकड़ी के साथ ही पाईप व कुल्हाड़ियों से भी मारपीट करने का कथन किया है, जो स्वयं आहतगण के कथनों से समर्थित नहीं

है तथा न ही प्रकरण में किसी पाईप व कुल्हाड़ी की बरामदगी नहीं होने से अतिश्योक्तिपूर्ण कथन प्रकट हुआ है और साक्षी पी.ड.3 के न्यायालयीन कथन उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी.2 से मामूली विचलन लिए हुए हैं तथा अभियोजन साक्ष्य में परिवादी रूपचंद के बेहोश होने एवं उसे जिस साधन से अस्पताल लेकर गए, के संबंध में कुछ विरोधाभास प्रकट हुए हैं, परंतु न्यायालय की विनम्र राय में ये विरोधाभास मामूली व तुच्छ प्रकृति के हैं, जिनसे अभियोजन मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायालय के विनम्र मत में साक्षीगण की अभिसाक्ष्य में मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक है तथा जब तक विरोधाभास तात्विक एवं महत्वपूर्ण नहीं हों, मामूली विरोधाभास के आधार पर अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त के सन्दर्भ में निम्न सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत मार्गदर्शन करते हैः-

**तुच्छ या छोटे-मोटे विरोधाभास के कारण गवाह की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं है।**

**2008(15) SCALE 205 Babasahed Apparao Patil Vs State of Maharashtra**

Hon'ble Apex Court observed that some discrepancies in the ocular account of a witness, unless those are vita, cannot per se affect the credibility of the evidence of the witness. Unless the contradictions are material, the same cannot be used to jettison the evidence in its entirety.

**साक्ष्य में मामूली विसंगतियों को अनुचित महत्व दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता।**

**AIR 1988 SC 696 Appabhai & Anr. Vs State of Gujrat**

Hon'ble Apex Court has cautioned the courts below not to give undue importance to minor discrepancies which do not shake the basic version of the prosecution case.

**AIR 1975 SC 1962, Balka Singh & Ors. V/s State of Punjab**

Hob'ble Apex Court held as under "The Court must make an attempt to separate grain from the chaff, the truth from the falsehood. Hon'ble Apex court placed its reliance upon its earlier judgment in zwinglee ariel V/s State of Madhya Pradesh, AIR 1954 SC 15.

The same principle was laid down in following cases also:-

(1) AIR 2001 SC 3678 Sukhdev Yadav & Ors. V/s State of Bihar

(2) AIR 2012 SC 1979 Ramesh Harijan Vs State of U.P. (dated 21-05-2012)

(3) AIR 1954 SC 31 Abdul Gani Vs State of Madhya Pradesh

**27-** जहाँ तक झगड़ा स्वयं परिवादी पक्ष द्वारा प्रारम्भ किए जाने का प्रश्न है, तो यह सही है कि प्रथम अनुसंधान अधिकारी पी.ड.13 परमानंद ने दौराने अभिसाक्ष्य यह

कथन किया है कि **यह कहना सही है कि झगड़े की शुरुआत दीपचंद वगैरह ने मुल्जिमान के साथ मारपीट करके की थी**, परंतु इसके बावजूद यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिपक्षी प्रकरण साधारण मारपीट व मोटरसाईकिल में तोड़फोड़ से संबंधित रहा है, जिसमें किसी प्रकार के हथियार वगैरह की बरामदगी व जब्ती परिवादी पक्ष से नहीं हुई है, ऐसे में लड़ाई का प्रारम्भ हस्तगत प्रकरण के परिवादी पक्ष द्वारा किया जाने के बावजूद प्रकरण की प्रकट परिस्थितियों में परिवादी पक्ष अत्यधिक आक्रामक रहा हो एवं उनके द्वारा घातक हथियारों के साथ गम्भीर उपहतियां हस्तगत प्रकरण के अभियुक्तगण को कारित की जा रही होने के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में उसी अनुपात में बल प्रयोग करते हुए परिवादीगण को चोटें कारित की गई हों, यह तथ्य साबित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उक्त विवेचन से यह तथ्य तो बखूबी साबित है कि घटना की सुसंगत तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा ताश के खेल के दौरान विवाद होने पर सामान्य आशय के अग्रसरण में पहले आहतगण फूलचंद व दीपचंद के साथ और फिर परिवादी/आहत रूपचंद के साथ लकड़ियों से मारपीट की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आहतगण फूलचंद व दीपचंद के साधारण प्रकृति की व आहत दीपचंद के हाथ में अस्थिभंग की गम्भीर प्रकृति की उपहति कारित हुई।

**28-** जहाँ तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध धारा 307, 307/34 भा.द.सं. का प्रश्न है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अनुसार- **यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने के इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है, जिससे यदि मृत्यु हो जाती तो वह हत्या होती तथा इस प्रकार वह हत्या के प्रयास का का दोषी माना जाता है।** उक्त के संबंध में यदि पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य का अवलोकन किया जावे, तो चिकित्सक साक्षी पी.ड.2 डॉ. विशाल फतनानी ने आहत रूपचंद की एकमात्र चोट के विषय में कथन किया है कि बाद एक्सरे व **एम.बी.एस. अस्पताल में रूपचंद के भर्ती रिकॉर्ड के आधार पर** मैंने रूपचंद के शरीर पर लगी चोट सं.1 सिर के दोनों पेराईटल बोन का अस्थिभंग होना पाया जाकर चोट गम्भीर प्रकृति की होकर जीवन के लिए प्राणघातक थी, जिस बाबत प्रदर्श पी.3 की पुश्त पर आई से जे मेरी राय अंकित है। इस प्रकार उक्त चिकित्सक साक्षी ने आहत रूपचंद की सिर की चोट को एम.बी.एस. अस्पताल में भर्ती रिकॉर्ड के आधार पर प्राणघातक होने का कथन किया है, परंतु महत्वपूर्ण रूप से यह प्रकट हुआ है कि एम.बी.एस.अस्पताल कोटा के ऐसे सुसंगत एवं आवश्यक भर्ती रिकॉर्ड को न्यायालय में पेश कर प्रमाणित नहीं करवाया गया है। इस संबंध में चिकित्सक साक्षी पी.ड.2 डॉ. विशाल ने कथन भी किया है कि **यह सही है कि आज पत्रावली पर एम.बी.एस. कोटा के ईलाज के कोई दस्तावेज**

**संलग्न नहीं हैं।** इस प्रकार प्रथम तो प्रकरण में एम.बी.एस.कोटा का वह सुसंगत एवं आवश्यक रिकॉर्ड ही प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आहत रूपचंद की चोट को प्राणघातक होना बतलाया गया है, द्वितीयतः यह तथ्य भी महत्वपूर्ण रूप से सामने आए हैं कि पर्चा बयान एवं परिवादी/आहतगण के सशपथ बयानों में ऐसा कोई तथ्य जाहिर नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत रूपचंद को **जान से मारने की नीयत से** मारपीट की गई हो। आहत रूपचंद के साथ तीनों अभियुक्तगण द्वारा लकड़ियों से मारपीट करना बतलाया गया है, परंतु उसके मात्र एक चोट सिर पर कारित हुई है तथा चिकित्सक साक्षी पी.ड.2 ने घटना के कुछ समय बाद ही उक्त आहत का परीक्षण किया है, जिसने महत्वपूर्ण रूप से यह कथन भी किया है कि **परीक्षण के दौरान रूपचंद होश में था।** यह सही है कि दिनांक 15.01.2022 को मैंने जब प्रदर्श पी.3 तैयार की थी, तब **मजरूब रूपचंद की चोट से उसकी मृत्यु का खतरा नजर नहीं आया था**। यह सही है कि **प्रदर्श पी.4 में चोट का प्राणघातक होना नहीं लिखा है।** यहाँ यह भी तथ्य गौर करने लायक है कि आहत रूपचंद के मात्र एक चोट सिर पर कुन्द हथियार की गम्भीर प्रकृति की पाई गई है, इस आहत के चोटें तीव्रता के साथ दोहराई नहीं गई हैं। ऐसी स्थिति में जबकि अभियोजन की ओर से कथित एम.बी.एस.कोटा के भर्ती रिकॉर्ड को न्यायालय में विधिवत प्रदर्शित नहीं करवाया गया है और ऐसे कथित भर्ती रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी चिकित्सक अथवा तकनीशियन साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं हुए हैं, तो ऐसे में चिकित्सक साक्षी पी.ड.2 विशाल जिसके द्वारा आहत रूपचंद की कोई सी.टी. स्केन व जाँच नहीं की गई और न ही इससे संबद्ध कोई रिपोर्ट तैयार की गई, तो उसके मौखिक कथन मात्र को पर्याप्त माना जाकर अभियुक्तगण को धारा 307 भा.द.सं. के अपराध से जोड़ा जाना कतई न्यायोचित व सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय के विनम्र मत में मात्र सिर अथवा ललाट जैसे मार्मिक अंग पर चोट होना, बिना यह सिद्ध किए कि वह चोट स्वाभाविक रूप से मृत्यु कारित करने योग्य थी, धारा 307 भा.द.सं. के अपराध को साबित नहीं करती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण को धारा 307 या 307/34 भा.द.सं. के अधीन दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, परंतु उपलब्ध चिकित्सकीय व मौखिक साक्ष्य से आहत रूपचंद की उक्त चोट अभियुक्तगण के अपराध अंतर्गत धारा 325/34 भा.द.सं. को अवश्य गठित करती है। उपर्युक्त समस्त विश्लेषणानुसार न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण पूरीलाल, रामचन्द्र व मदनलाल के विरुद्ध धारा 307, 307/34 भा.द.सं. का आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, जिसमें अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं,

परंतु उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन पक्ष उक्त तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323/34, 325/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, लिहाजा अभियुक्तगण उक्त आरोपों में दोषी करार दिए जाने योग्य पाए जाते हैं।

**आदेश**

परिणामतः अभियुक्तगण **1.पूरीलाल** पुत्र गोपाल आयु 59 वर्ष, **2.रामचन्द्र** पुत्र प्रहलाद आयु 42 वर्ष व **3.मदनलाल** पुत्र महावीर आयु 28 वर्ष, समस्त निवासीगण- भूमरी, पुलिस थाना-सारोलाकलां, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 307, 307/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

(2) उक्त तीनों अभियुक्तगण को धारा 341, 323/34, 325/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी करार दिया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

**(आलोक सुरोलिया)**
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़।

**दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई-**

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं तथा उनका पूर्व दोषसिद्धि का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण वर्ष-2022 से इस प्रकरण में विचारण की यंत्रणा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे।

(2) इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(3) हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के खेतिहर व्यक्ति हैं, जो वर्ष-2022 से लगभग चार वर्ष की इस प्रकरण की अन्वीक्षा की वेदना भुगत चुके हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, क्योंकि इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निल दर्शाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण को मुख्य आरोप से दोषमुक्त किया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को तुरंत दण्ड से दण्डित किए जाने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(4) फलतः अभियुक्तगण पूरीलाल, रामचन्द्र व मदनलाल को धारा 341, 323/34, 325/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाए जाने पर तुरंत दण्डादेश देने के बजाय यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की **धारा 4(1)** के तहत **50,000/-रुपये** का स्वयं का **मुचलका** एवं इसी राशि की **एक जमानत**, **एक वर्ष** की अवधि के लिए शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावे, उपस्थित आने एवं दण्डादेश प्राप्त करने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा अभियोजन व्यय के रूप में प्रत्येक अभियुक्त **10,000/-रुपये (कुल 10,000x3=30,000/-रुपये)** न्यायालय में जमा करावें, तो उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

(5) प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पडी जब्तशुदा सामग्री (यदि कोई हो) का निस्तारण सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) 2018 के अनुसार/नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा।

(6) हस्तगत प्रकरण में परिवादी/आहतगण के शरीर पर कोई स्थाई निर्योग्यता उत्पन्न नहीं हुई है, अतः ऐसी स्थिति में आहतगण को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन कोई क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

(7) अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 437(क) के प्रावधानों की अनुपालना में तीस-तीस हजार रुपये के जमानत-मुचलके पेश किए जा चुके हैं, जो कि आज से आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे। इनके माध्यम से अभियुक्तगण को पाबंद किया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर वे स्वयं को अविलम्ब प्रस्तुत करेंगे।

**(आलोक सुरोलिया)**
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़।

**29-** उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक **12.06.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

**(आलोक सुरोलिया)**
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़।

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय में किये गये सभी संशोधनो को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(शकील मोहम्मद)

स्टेनो ग्रेड-।

नोटः यह प्रतिलिप प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.15 09:02:09 IST